

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3179

जयपुर, दिनांक 04.02.2021

अधिसूचना

चुंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

अनुसूची " भाग-I"

क्र.सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
4	कॉटन-डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (ऑयल मिल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज

13	वूल क्लनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अन्नक कर्मन्त में नियोजन (अन्नक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़को के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक/कामगार भी शामिल हैं)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डिक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पेट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं हैं



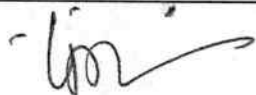
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
51	बुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची " भाग-II "

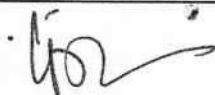
क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
52	(कृषि में नियोजन)– किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. अकुशल – बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर,, फर्शा, धोबी, भिंती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रौली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईंग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्क्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रौलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक केरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड	6552/-	252/-



शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)		
2. अर्द्धकुशल - मुंशी, भू मापक,, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिस्टेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिस्टेन्ट फिटर, अस्सिस्टेन्ट कारपेन्टर, अस्सिस्टेन्ट टर्नर, अस्सिस्टेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिस्टेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिस्टेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिस्टेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिस्टेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईंगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाइजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पेट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)	6864 / -	264 / -
3. कुशल - मैशन, मिस्ट्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रैक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों	7176 / -	276 / -



के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेटर्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाइजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फ़ैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर, डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्ब्लर, स्किन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फ़ेल्ड मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)



उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर, फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक,मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	8476 / -	326 / -
--	----------	---------

टिप्पणियाँ:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (**overtime**) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. (क) अकुशल (Unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं है, सम्मिलित है। 2वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।
(ख) अर्द्धकुशल (Semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार 3 वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।

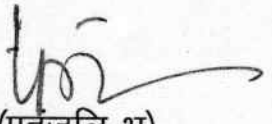


(ग) कुशल (Skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा।

(घ) उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
9. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.1.2019 से 30.06.2020 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 706 अंक है।
10. पार्ट टाइम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
- 11 उक्त मजदूरी की दरें अन्तिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

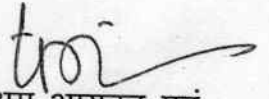

(पतंजलि भू)

अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3180-92 जयपुर, दिनांक 04.02.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।


अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर



**राजस्थान सरकार
श्रम विभाग**

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3193

जयपुर, दिनांक 04.02.2021

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	उच्च कुशल:- विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	326/- रूपये प्रतिदिन या 8476/- रूपये प्रतिमाह

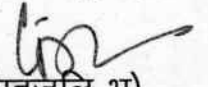
टिप्पणियाँ:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।

-  -

3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (**overtime**) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. (क) उच्च कुशल (**highly skilled**) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (**Practical**) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**Consumer Price Index**). दिनांक 1.1.2019 से 30.6.2020 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 706 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पतंजलि भू)

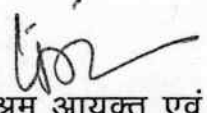
अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3194-06 जयपुर, दिनांक 04.02.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
- ✓ 11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।


अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3207 जयपुर, दिनांक 04.02. 2021

अधिसूचना

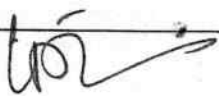
चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर) के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

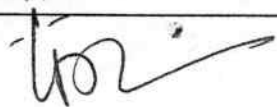
इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी .	252.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी .	252.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी .	252.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी .	252.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी .	252.00
1.04	नींव में धाड़ला, कंकर या झाड़ारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी .	252.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बॉन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.00 घ.मी .	252.00



क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
	में लगाना		
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	252.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	252.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	252.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	252.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना-मसाले में	1.00 घ.मी .	252.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंटमसाले में-	1.00 घ.मी .	252.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी .	252.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	252.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी .	252.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	252.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	252.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	252.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 व.मी.	252.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	252.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	252.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 व.मी.	252.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	252.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर के पचचड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरीया डालना	9.09 व.मी.	252.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	252.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86 व.मी.	252.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड़ स्टील के साथ	2.78 व.मी.	252.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कंक्रीट डालना	0.4 व.मी.	252.00
1.28	सेन्टरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	252.00



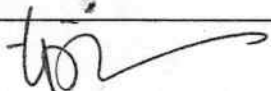
क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्रा.	252.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.27 व.मी.	252.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00 व.मी.	252.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50 व.मी.	252.00
1.32	लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना	66.73 व.मी.	252.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	252.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	252.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खडंजा लगाना	3.33 घ.मी .	252.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	252.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना	0.61 घ.मी .	252.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	252.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	252.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	252.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	252.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	252.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	252.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	252.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	252.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	252.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	252.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	252.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	252.00
1.51	सीमेन्ट-कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	252.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	252.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	252.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	252.00
	<u>सड़क कार्य</u>		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड्डा ठीक करना		
	(1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	252.00
	(2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	252.00
	(3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	252.00



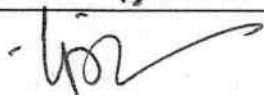
क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	252.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	252.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	252.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1)साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी .	252.00
	(2)सखतचिकनी- मिट्टी में	2.50 घ.मी .	252.00
	(3)कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी .	252.00
	(4)मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी .	252.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी .	252.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	252.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	252.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	252.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	252.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	252.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	252.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	252.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	252.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	252.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	252.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी .	252.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	252.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी .	225.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सडक के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी.तक ले जाना , डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	252.00



क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	252.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	252.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी .	252.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना रोलर से) (कुटाई के अलावा	1.72 घ.मी .	252.00
1.66	बेरदवा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ों में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	252.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/ बजरी	3.13 व.मी.	252.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	252.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ.मी .	252.00
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप की खड्का बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डे बाड़	252.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डे बाड़	252.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डे बाड़	252.00
1.70	डोला फेंसिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	252.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	252.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	252.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	252.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00 गड्डे	252.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00 गड्डे	252.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00 गड्डे	252.00
1.73	पौधा रोपण करना		



क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	252.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	252.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	252.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	252.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	252.00
1.77	थांवला बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	252.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	252.00
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	252.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	252.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	252.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	252.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	252.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	252.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाइल में	2.00 घ.मी .	252.00
	<u>स्वच्छता</u> जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	2.00नग	252.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33नग	252.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	252.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	252.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	252.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	252.00
1.88	चाड़ना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	252.00



क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए)
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		252.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	252.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	252.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	252.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	252.00
1.90	आर.सी.सी. के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		252.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50 रिंग	252.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00 रिंग	252.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67 रिंग	225.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिएbg (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00 रिंग	252.00

टिप्पणी:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.1.2019 से 30.06.2020 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 706 अंक है।
5. उक्त मजदूरी की दरें अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पतंजलि भू)

अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3208-2जयपुर, दिनांक 04.02.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।


अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/३२२।

जयपुर, दिनांक 04.02.2021

अधिसूचना

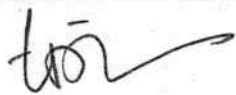
चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ईट भट्टों के उद्योग में नियोजन" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

ईट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

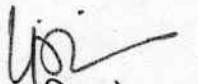
क्र.सं.	श्रमिकों /कर्मचारियों के वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी (रूपये में)
1	पथेर (कच्ची ईट की थपाई)	1000 ईट प्रति व्यक्ति	276/-
2	भराई वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	148/-
3	निकासी वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	166/-
4	पक्की ईट की लोडिंग	1000 ईट प्रति व्यक्ति	109/-
5	गट्ठी बंद कराई	प्रति गट्ठी प्रति व्यक्ति	120/-
6	जलाई वाला	—	276/- प्रति दिन
7	जलाई मिस्त्री	—	8476/-प्रति माह
8	सफाई प्रति गेड	—	252/- प्रति दिन
9	बैलदार/रापस्या	—	252/- प्रति दिन
10	पाणतिया	—	264/- प्रति दिन
11	जमादार	—	276/- प्रति दिन



टिप्पणियाः:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. (क) अकुशल (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।
(ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।
(ग) कुशल (skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.1.2019 से 30.06.2020 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। इव अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 706 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

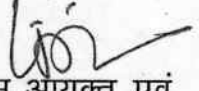

(पतजलि भू)

अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3222-32 जयपुर, दिनांक 04.02.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।


अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट 326/

जयपुर, दिनांक 04/04/2021

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

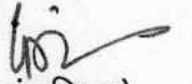
क्र. सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	897.00
2	कपडे धाने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	897.00
3	कपडे धोना-बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	897.00
4	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	897.00
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	897.00
6	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	7176.00

- [Signature]

टिप्पणियां:-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ़ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.1.2019 से 30.06.2020 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 706 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पतंजलि भू)

अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/3262-73 जयपुर, दिनांक : 04/07/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अधीक्षक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।

6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या- 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।


अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर